



4/- अतः म०प्र०भ०रां संहिता 1959 की धारा 172(1) एवं इसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अन्तर्गत आवेदकगण ग्राम सनखेड़ी तहसील हुजर भोपाल भूमि स्थित खसरा नबंर 127, रकवा 0.760 हे०, खसरा नबंर 186 रकवा 0.17 हे० भूमि (संलग्न अनुमोदित अभिन्यास अनुसार जो आदेश का भाग होगा) शैक्षणिक संरथान के लिये प्रश्नाधीन भूमि पर पुनःनिर्धारण रूपये 98,184/- (अंठानवे हजार एक सौ चौरासी रु. मात्र) वर्ष 2007-08 से लगातार देय एवं नगर पालिका सीमा के अन्दर स्थित होने से प्रीमियम राशि 1,00,188/- (एक लाख एक सौ अठासी रूपये मात्र) एक मुश्त अधिरोपित किया जाता है तथा निम्नलिखित समस्त शर्तों के अधीन शैक्षणिक संरथान हैतु व्यपवर्तन स्वीकृत किया जाता है:-

- 4.1 प्रश्नाधीन भूमि में अनुमोदित अभिन्यास से अधिक भूमि पर निर्माण कार्य नहीं किया जायेगा।
- 4.2 वाटर हारवेसटिंग का सिरस्टम लागू किया जायेगा।
- 4.3 नियत संख्या में वृक्षों का रोपण करना होगा।
- 4.4 प्रश्नाधीन भूमि का विकास कार्य करने से पूर्व संबंधित सभी विभागों से आवश्यक अनुमतियाँ लेनी होगी। अनुमोदित अभिन्यास के अनुसार मार्ग/ खुली भूमि/ वृक्षारोपण/ निम्न घनत्व आदि के लिये स्थल पर रिक्त भूमि छोड़नी होगी। अनुमोदित अभिन्यास के साथ उल्लेखित शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा।
- 4.5 भू-अर्जन की स्थिति में कृषि दर से मुआवजा लेना होगा।
- 4.6 स्थल पर विकास करते समय सार्वजनिक स्वास्थ्य, लोक न्यूसेन्स बस्ती व आसपास के रहवासियों की सुविधा एवं सुनिश्चित करना अनिवार्यता होगा।
- 4.7 निर्माण कार्य तीन वर्ष के अन्दर करना अनिवार्य होगा।
- 4.8 पुनःनिर्धारण राशि प्रतिवर्ष समय से जमा करना अनिवार्य होगा।
- 4.9 प्रीमियम राशि एक मुश्त समयावधि में शासकीय कोषालय में जमा कर चालान की मूलभूति इस न्यायालय में प्रस्तुत करनी होगी। उपरोक्त उल्लेखित किसी भी शर्त का उल्लंघन करने भू-अर्जन होने या किसी प्रकार के स्वत्व विवाद की स्थिति में व्यपवर्तन आदेश स्वयं निरस्त माना जावे। संबंधित पटवारी तदनानुसार राजस्व अभिलेख में अमल करें।



अनुविभागीय नियमित
तहसीली वृक्षारोपण
भूमि

तत्प्रतिलिपि
मुख्य प्रतिलिपिकार्यालय
कलेक्टर कार्यालय भोपाल

1. एक दिन प्रति दिन	25.00
2. दो दिन की वार्षिक बिल	180
3. तीन दिन की वार्षिक बिल	25-00
4. चारों दिन (प्रति दिन एक घण्टा)	(प्रति दिन) अधिक्षेत्रामार्ग
5. चारों दिन (प्रति दिन दो घण्टा या उड़िया वस्त्र अतिरिक्त सही-	100 के लिए
6. आठों दिन की वार्षिक बिल जैसे इनमें वार्षिक वस्त्र का दिनांक
7. अतिरिक्त उड़ाविय दस्तावजी के लिए ताकोद करने की
8. अनुक्रमिक 6 या 7 दस्तावजी के लिए एक
9. अनुक्रमिक दो दस्तावजी के लिए	25-00
10. अनुक्रमिक दो या भेदभाव की फ्रेश	25-00
11. अनुक्रमिक दस्तावजी का दस्तावजी	25-00
12. अनुक्रमिक दस्तावजी का दस्तावजी	25-00
<i>Photoshop</i>	<i>Photoshop</i>
प्रिन्टर	प्रिन्टर मिशनलरी
	<i>Buy</i> मुद्रण इतिहासिक 25-00

कार्यालय कलेक्टर (परिवर्तित भूमि) जिला भोपाल म0प्र0

क्रमांक १/अ.भू.आ./भू.आ./2013

भोपाल, दिनांक 26/6/2013

प्रति,

चौहान एज्यूकेशन सोसायटी
द्वारा अध्यक्षं श्री संदीप चौहान
पुत्र श्री रामपाल सिंह चौहान एवं
सचिव श्री सैय्यद साजिद अली
आत्मज श्री सैय्यद साहिब अली

विषय:- अभिमत प्रदान करने बाबत।

संदर्भ:- आपका पत्र दिनांक 17-6-13

विषयान्तर्गत संदर्भित आवेदन का अवलोकन करने का कष्ट करें। आपके संस्था की स्वत्व की भूमि खसरा नंबर 127 रकबा 0.76 हेक्टे. ग्राम सनखेड़ी प.ह.नं. 38 तहसील हुजूर जिला भोपाल में स्थित है, दिनांक 24-2-04 के जरिये रजिस्ट्री विक्रय पत्र क्रमांक 3158 के द्वारा उपरोक्त भूमि आपने विक्रेता श्री रामसिंह, सुमेर सिंह आत्मज श्री हरकिसन आदि से क्रय की थी।

2— आपके आवेदन पत्र पर न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी तहसील हुजूर भोपाल के राजस्व प्रकरण क्रमांक 119/अ-2/06-07 आदेश दिनांक 22-8-07 में उपरोक्त भूमि का शैक्षणिक प्रयोजन हेतु व्यपर्वतन स्वीकृत हुआ था जो आप दोनों पार्टनर के नाम आदेश जारी हुआ था।

3— आपके द्वारा उपरोक्त प्रश्नाधीन भूमि जरिये रजिस्ट्री विक्रय पत्र क्रमांक 5058 दिनांक 30-3-07 को चौहान एज्यूकेशन सोसायटी को विक्रय कर दी।

4— उपरोक्त प्रश्नाधीन भूमि का नगर तथा ग्राम निवेश विभाग से आपने अवासीय प्रयोजन हेतु अभिन्यास प.क्र.381 दिनांक 30-7-07 के द्वारा अनुमोदित कराया है।

5— यहां यह उल्लेखनीय है कि म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 172, 59 में व्यपर्वतन भूमि का होता है व्यक्ति का नहीं तथा भूमि के क्रय विक्रय के संव्यवहार सदा गतिशील रहते हैं, एक बार भूमि का शैक्षणिक प्रयोजन हेतु व्यपर्वतन स्वीकृत हो जाये तो वह आगामी 30 वर्ष तक या आगामी बन्दोबस्त योजना आने तक लागू रहता है।

अतः खसरा नंबर 127 रकबा 0.76 हेक्टे. भूमि स्थित ग्राम सनखेड़ी तहसील हुजूर का वर्तमान में स्वरूप शैक्षणिक प्रयोजन का है, कृपया अवगत हो। संस्था द्वारा प्रेषित आवेदन पत्र पर अभिमत दिया गया है।

अधीक्षक भू-अभिलेख
जिला - भोपाल